कार्यालय–अधिशासी अभियन्ता (सा0)–08
नगर निगम, लखनऊ।

पत्रांक......................

दिनाँक........................

मा0 मुख्य सूचना आयुक्त
राज्य सूचना आयोग उ0प्र0
आर0टी0आई0 भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

सुनवाई कोर्ट संख्या–1

श्री अमरनाथ यादव ....
वादी

बनाम

जनसूचना अधिकारी कार्यालय–नगर निगम लखनऊ प्रतिवादी

वाद सं0–एस9/सी/0275/2025, पंजी0 सं0:सी–20250800849 नियत तिथि:30.09.2026, जिला–लखनऊ, उ0प्र0।

विषयः–प्रार्थना पत्र वास्ते आदेश दिनांक–09.07.2026 को रिकाल किये जाने हेतु।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत आपके कार्यालय के नोटिस/पत्रांक–202607S01N201056 दिनांक–28.07.2026 के साथ संलग्न आदेश दिनांक–09.07.2026 का अवलोकन किया गया, प्रतिवादी द्वारा आदेश दिनांक–09.07.2026 को रिकाल किये जाने हेतु लिखित अभिकथन/स्पष्टीकरण निम्नलिखित है:--

01. यह कि सूचना आवेदक द्वारा ऑनलाइन सूचना आवेदन पत्र संख्या NNLKN/R/2025/60332 दिनांक–08.07.2025 द्वारा आनलाइन सूचना आवेदन पत्र प्रेषित किया गया।

02. जोनल अधिकारी कार्यालय जाने–8 द्वारा अधिशासी अभियन्ता (सा0)–8 कार्यालय को पत्रांक 1014 दिनांक–20.08.2025 द्वारा प्रकरण अंतरित किया गया।

03. यह कि वादी/सूचना आवेदक के सूचना पआवेदन पत्र/अपील के क्रम में सम्बन्धित सूचना धारक विभग द्वारा यथाधारित सूचनाएं वादी को प्रदान किये जाने का विवरण:–
पत्रांक : 920, दिनांक–20.09.2025 (डाक रसीद दिनांक 20.09.2025) प्रति संलग्न।
सूचना आवेदन ऑनलाइन माध्यम से प्रेषित किये जाने के कारण दिनांक–20.09.2025 को प्रकरण ऑनलाइन निस्तारित किया गया।
पत्रांक:....................., दिनांक : .... (डाक रसीद दिनांक ....) प्रति संलग्न।

04. आवेदक द्वारा इब्राहिमपुर प्रथम वार्ड न्यू अशोक विहार कॉलोनी हरिहरपुर शहीदपथ लखनऊ में सड़क एवं नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में सूचनाएं मांगी गयी थी जिसके क्रम में सादव अवगत कराना है कि उक्त प्रकरण में मा0 सदन/कार्यकारिणी को आगणन धनांक रू0–9,83,399/-- का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु नगर आयुक्त महोदय को प्रेषित किया गया था जिसमें मा0 सदन/कार्यकारिणी द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत न हो पाने के कारण वित्तीय वर्ष 2025–26 में उपरोक्त कार्य कराया जाना सम्भव नहीं हो सका, वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 में मा0 सदन/कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्ताव आगणन पुनः स्वीकृति हेतु अग्रसारित किया गया है जिसकी प्रति साथ में संलग्न है जिसकी स्वीकृति के उपरांत तत्काल प्रभाव से सड़क निर्माण कार्य कराया जाना शीर्ष प्राथमिकता से सुनिश्चित किया जाएगा वर्तमान में वर्षाऋतु में निर्माण कार्य संचालित

Scanned with OKEN Scanner

... नहीं है शासय
... की जानकारी प्राप्त होने तथा प्रकरण
... प्राप्त करने के आधार पर यह आख्या एवं सूचनाएँ
... हुए विलम्ब का स्पष्टीकरण श्रीमान जी के समक्ष प्रस्तुत किया जा

07.यह कि वादी को वांछित सूचनाएँ प्रदान की गयी है तथा वादी की ओर से प्राप्त सूचनाओं पर उपयुक्त तथ्य एवं कारण प्रदर्शित करते हुए <u>**अब कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी**</u> तथा प्रतिवादी के स्तर से अन्रू कोई सूचना दिया जाना शेष नहीं है तथा मा0 आयोग द्वारा पारित आदेश दिनांक–09.07.2026 को रिकाल करते हुए प्रतिवादी का वेतन अवमुक्त करने हेतु आदेशित किया जाना न्यायहित में अतिआवश्यक है तथा स्पष्टीकरण को स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः श्रीमान जी से विनम्र प्रार्थना है कि उपरोक्त स्पष्टीकरण कारणों एवं परिस्थितियों के आधार को स्वीकार कर प्रार्थी पर अधिरोपित अर्थदण्ड आदेश दिनांक–09.07.2026 का पुनः परीक्षण करते हुए प्रार्थी/प्रतिवादी से वसूली एवं वेतन अवरूद्ध किये जाने के निर्णय को रिकॉल कर वेतन अवमुक्त करने की कृपा करें। अनुरोध है कि शीघ्र सुनवाई तिथि देने की कृपा करें।

संलग्नक : यथाउपरोक्त।
दिनांक–25.08.2026

प्रतिवादी

(शील कुमार श्रीवास्तव)
अधिशासी अभियन्ता (सा0)–8
नगर निगम, लखनऊ।
मो0 8810721526

प्रस्तुत द्वारा
अधिकृत विभागीय अधिवक्ता
शैलेन्द्र सिंह चौहान (एडवोकेट)
मो0 9415470090

Read
P/ fix date on 7/9/26
2/9/26
GC

Scanned with OKEN Scanner